संख्या-253/2019/4955/26-3-2019-10(1)/2017

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में 100 छात्राओं की क्षमता का निर्माणाधीन छात्रावास भवन में 50 छात्राओं के क्षमता के अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, जनजाति विकास के पत्रांक-227/43/ ज0जा0वि0/निर्माण/2019-20, दिनांक-26.11.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में 100 छात्राओं की क्षमता के निर्माणाधीन छात्रावास भवन में 50 छात्राओं के क्षमता के अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-474.09 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि **रू0-237.00 लाख (रू0-दो करोड़ सैतीस लाख मात्र)** की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-निदेशक,जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)-प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बा॰ट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक (निर्माण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कराये जायेगे।

(7)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8)-उक्त मरम्मत कार्यों में जो भी कमियां हैं, उन्हें तत्काल दूर करते हुये मरम्मत कार्य को कार्यदायी संस्था द्वारा यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-अनुसूचित जनजातियों के लिये बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास का निर्माण-24-वृहद निर्माण के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-253/2019/4955/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।